

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उप निबंधक सदर रक्षारूप ब्रम् 2025305012163  
द्वितीय  
आवेदन संख्या-442500702031644

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2025-06-05 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का आशीष समरोह  
नाम

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि 20366552 / 5124152.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 203670
2. प्रतिनिधित्व शुल्क 100
3. निर्देशन या तस्कार शुल्क
4. मुहल्लार के अधिपत्याधी नवण लिए शुल्क
5. बजीशन शुल्क
6. विविध
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 203770

शुल्क उतूल करने का दिनांक 2025-06-05 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिनिधि या तस्कार

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2025-06-05 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के  
हस्ताक्षर

39

F



IN-UP75601959971487X

e-Stamp

Certificate No.  
 Certificate Issued Date  
 Account Reference  
 Unique Doc. Reference  
 Purchased by  
 Description of Document  
 Property Description  
 Consideration Price (Rs.)  
 First Party  
 Second Party  
 Stamp Duty Paid By  
 Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP75601959971487X  
 05-Jun-2025 04:10 PM  
 NEWIMPACO (SV) UP T411440W SAHARANPUR/ UP-SHR  
 SUBIN-UPUP1411440148000399252491X  
 SAHARANPUR VIKAS PRADHIKARAN SRE THRU ASHISH  
 Article 23 Conveyance  
 AGRICULTURE LAND KH NO.6M AT VILLAGE MOHD.PUR BAHLOLPUR  
 PARGANA TEHSIL AND DISTT. SAHARANPUR  
 AMAN KUMAR SONAND LAL AND OTHERS  
 SAHARANPUR VIKAS PRADHIKARAN SRE THRU ASHISH  
 SAHARANPUR VIKAS PRADHIKARAN SRE THRU ASHISH  
 14,25,690  
 (Fourteen Lakh Twenty Five Thousand Six Hundred And Ninety only)

6739  
 2025  
 ₹14,25,690

₹14,25,690  
 ₹14,25,690  
 ₹14,25,690  
 ₹14,25,690

सत्यमेव जयते



AS/06/2025

₹14,25,690



IN-UP75601959971487X

Please write entire details

अमन कुमार विक्रम अशोक कुमार



श्री

Lekhmi

Done

PIF 0007711981

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shikhalamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

विक्रय पत्र

कार्यालय का नाम :- उपनिबंधक:-सदर सहारनपुर

मूल क्षेत्राधिकार:-उपनिबंधक कार्यालय सदर द्वितीय सहारनपुर

फोटो मिलानकर्ता :-

विपिन कुमार धीमान  
एडवोकेट

रजि० नं०-5076/04  
150-सिविल कोर्ट सहारनपुर  
मो० नं०-9758311943



1-प्रतिफल की धनराशि :-मुबलिंग 2,03,66,552/- रुपये ✓

(प्रतिफल की धनराशि में अंकन 1,000/-पूर्णांक करके अंकन 2,03,67,000/-रूपये पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है)

2- कानूनी मालियत :-मुबलिंग 51,24,152/- रूपये

3- स्टाम्प शुल्क :- मुबलिंग 14,25,690/-रूपये ✓  
(ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट संलग्न है)

4-संपत्ति का प्रकार:- कृषि भूमि

5- विक्रीत संपत्ति आवास विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है ✓

6-संपत्ति का क्षेत्रफल:- 0.4380



असव कुमार  
विपिन कुमार धीमान  
रजि० नं०-5076/04  
150-सिविल कोर्ट सहारनपुर  
मो० नं०-9758311943

असव कुमार  
विपिन कुमार धीमान  
रजि० नं०-5076/04  
150-सिविल कोर्ट सहारनपुर  
मो० नं०-9758311943

असव कुमार  
विपिन कुमार धीमान  
रजि० नं०-5076/04  
150-सिविल कोर्ट सहारनपुर  
मो० नं०-9758311943

असव कुमार  
विपिन कुमार धीमान  
रजि० नं०-5076/04  
150-सिविल कोर्ट सहारनपुर  
मो० नं०-9758311943

असव कुमार  
विपिन कुमार धीमान  
रजि० नं०-5076/04  
150-सिविल कोर्ट सहारनपुर  
मो० नं०-9758311943

असव कुमार  
विपिन कुमार धीमान  
रजि० नं०-5076/04  
150-सिविल कोर्ट सहारनपुर  
मो० नं०-9758311943

7-संपत्ति का विवरण :- खसरा संख्या:- 6मि०

फसली वर्ष:-1428-1433तक खाता खतौनी क्रम संख्या:- 00082

8-मापन की इकाई :-हेक्टेयर

9-कृषि भूमि विक्रीत बाके ग्राम मौ.पुर बहलोलपुर परगना तहसील व जिला सहारनपुर है(पृष्ठ संख्या 59 क्रमांक 452 क्षेत्र:-अर्धनगरीय) जहाँ का सरकारी निर्धारित रेट 1,16,00,000/-रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत आराजी की कानूनी मालियत अंकन 50,80,800/-रूपये होती है व आराजी में स्थित परिसमत्तियों की हिस्सेअनुसार कीमत अंकन 43,352/-रूपये आंकी गई है उक्त अनुसार कुल कीमत अंकन 51,24,152/- रूपये होती है।

परिसंपत्तियों का विवरण तथा उनके मूल्यांकन का विवरण :-

क्रम संख्या	परिसंपत्ति	संख्या	सम्बंधित विभाग द्वारा मूल्यांकित कीमत (रूपये)
1-	मकान/कोठा (बिना छत)	-	-
2-	बोरिंग/नलकूप सबमर्सिबल	01	22,560/-
3-	फलदार वृक्ष (कटहल)	1	20,792/-
4-	गैर फलदार वृक्ष	-	-
		कुल योग	43,352 /-

सकल दुग्गा

पंकज अर्जल कुपा

मी० गांधी

चाहल

Lakshmi

Boer

10- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति के सम्बन्ध में कोई अनुबंध विलेख पंजीकृत नहीं है।

11- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति की 200 मीटर की त्रिज्या में आबादी/अकृषक गतिविधिया मौजूद नहीं है।

12- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति में परिसंपत्तियां मौजूद है जिनकी उक्त मालियत में शामिल है।

13- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति सामान्य भूमि है।

14- यह की निम्नलिखित संपत्ति का अंतरण सहारनपुर विकास प्राधिकरण ,सहारनपुर के हक में हो रहा है इस कारण 07 प्रतिशत की दर से-स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

15- यह की विक्रेता अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिसने उक्त वर्णित भूमि विक्रय करने हेतु न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मंडल सहारनपुर जनपद सहारनपुर तहसील सहारनपुर के द्वारा सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में भूमि विक्रय किये जाने हेतु अन्तर्गत धारा-98(1) अधिनियम उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 अनुमति प्राप्त की गयी है, जिसकी छायाप्रतिया दस्तावेज हाजा के साथ संलग्न है।

वाद संख्या	कम्प्यूटरीकृत संख्या	वाद	पक्षकार	आदेश दिनांक
1359/2025	D202509600001359		अमन कुमार पुत्र नन्द लाल बनाम सरकार	02-04-2025
1356/2025	D202509600001356		पंकज कुमार पुत्र नंदलाल बनाम सरकार	02-04-2025
1357/2025	D202509600001357		अनिल कुमार पुत्र नन्द लाल बनाम सरकार	02-04-2025
1358/2025	D202509600001358		चौम्पा पत्री नन्द लाल बनाम सरकार	02-04-2025
1355/2025	D202509600001355		चौहल पुत्र हरमल बनाम सरकार	02-04-2025
1351/2025	D202509600001351		लक्ष्मी चन्द पुत्र हरफूल बनाम सरकार	02-04-2025

Handwritten signatures and stamps in blue ink. The word "Lakshmi" is written in the center. There are several circular and rectangular stamps, some with illegible text and others with clear text like "Lakshmi".

16- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति , राजस्व अभिलेख / उद्धरण खतौनी के अनुसार श्रेणी-1 (क) संक्रमणीय भूमिधर अधिकार की भूमि के अन्तर्गत है तथा उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 की धारा-77 के अनुसार प्रश्रुगत खसरा नम्बर सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है।

17- सम्बन्धित भूमि सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारिकरण / नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास किये जाने हेतु क्रय की जा रही है। काश्तकारो से विक्रीत सम्पत्ति सर्किल रेट दर के चार गुणा कीमत पर सहमति के आधार पर क्रय की जा रही है। यह कि यदि किसी त्रुटिवश माप के लिखित पडत व किसी अन्य की हिस्सेदारी या माननीय न्यायालय में किसी अन्य हिस्सेदार के पक्ष में आदेश प्राप्त होते है तो विक्रेता इस रकम को(जो कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण से मुआवजे / प्रतिफल के रूप में प्राप्त कर रहा है)सहारनपुर विकास प्राधिकरण को वापस करने का पाबन्द व जिम्मेदार रहेगा। विकास कार्य करते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अधिक धनराशि स्वयं नही लौटाता है तो धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष की दर सहित भू-राजस्व के बकाये की भाँति सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को वसूलने का अधिकार होगा।

अमान कुमार

विपिन अरवि

शोभित

राजेश

सुने

Lakshmi

## विक्रेता का विवरण संख्या (06)

क्रमांक	नाम	पिता /पति का नाम	पता	आधार संख्या	पैन संख्या	बकदर हिस्सा कानूनी मालियत (रूपये)	बकदर हिस्सा प्रतिफल की धनराशी (रूपये)	बकदर हिस्सा रकबा (हे०)
1-	अमन कुमार	पुत्र नन्दलाल	ग्राम मी.पुर बहुलोलपुर प० त० व जि० स०पुर	XXXX XXXX 9200	LHBPk2288M	2,37,800/-	9,51,200/-	0.0205
2-	पंकज कुमार	पुत्र नन्दलाल	ग्राम मी.पुर बहुलोलपुर प० त० व जि० स०पुर	XXXX XXXX 0237	IOEPk2261B	2,37,800/-	9,51,200/-	0.0205
3-	अनिल कुमार	पुत्र नन्दलाल	ग्राम मी.पुर बहुलोलपुर प० त० व जि० स०पुर	XXXX XXXX 8164	PTRPk1512G	2,37,800/-	9,51,200/-	0.0205
4-	बम्पा उर्की बोम्पा	पत्नी नन्दलाल	ग्राम मी.पुर बहुलोलपुर प० त० व जि० स०पुर	XXXX XXXX 6825	CYVPC9717K	2,37,800/-	9,51,200/-	0.0205
5-	बीहल	पुत्र हरमल	ग्राम मी.पुर बहुलोलपुर प० त० व जि० स०पुर	XXXX XXXX 8687	IXHPS2663M	26,18,552/-	1,03,44,152/-	0.2220
6-	लक्ष्मी चन्द	पुत्र हरफूल	ग्राम मी.पुर बहुलोलपुर प० त० व जि० स०पुर	XXXX XXXX 0921	BVPPL7837P	15,54,400/-	62,17,600/-	0.1340
						51,24,152/-	2,03,66,552/-	0.4380

अमन कुमार

पिता जी

अनिल कुमार

पिता जी

बीहल

Lakshmi

Dance

क्रेता का विवरण संख्या (01)

सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर-247001

(पैन नम्बर AAALS0359L) द्वारा अधिकृत पदाधिकारी /प्रतिनिधि आशीष सक्सेना (अवर अभियन्ता, सहारनपुर विकास प्राधिकरण) पुत्र श्री कृष्ण चंद सक्सेना, निवासी 311/108 ए, मीरापुर, डी ए वी कालेज, मीरापुर, प्रयागराज, आधार संख्या XXXX XXXX 5328 मौ०:-8005468480

(उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर के पत्रांक संख्या 2529 / अर्जन / स०वि०प्रा० / 2024-25 दिनांक 11/02/2025 के द्वारा अधिकृत)

संपत्ति प्राप्ति का स्रोत:- जो कि निम्नलिखित भूमि के विक्रेता मालिक व काबिज है और विक्रेता का नाम कागजात सरकारी खसरा खतौनी में बतौर मालिक नाम दर्ज चला आ रहा है जो विक्रेता को विरासत में प्राप्त है।

जिसके सम्बन्ध में विक्रेता को पूर्ण अधिकार मालकाना व इस्तेमाल तथा हस्तांतरण आदि के प्राप्त है और जो आज तक हर प्रकार के करजे व अनुबंध व हस्तान्तरण आदि से पाक व साफ है और जिसकी बाबत किसी न्यायालय या अन्य किसी भी जगह कोई वाद विवाद विचारधीन नहीं है लिहाजा विक्रेता ने बखुशी बिना किसी दबाव व जबर के बदरस्ती होशो हवास अपनी के निम्नलिखित भूमि को बमुकाबले अकन 2,03,66,552/- रुपये जिसके आधे 1,01,83,276/- रुपये होते है बदस्त क्रेता उपरोक्त के बैय कतई और फरोख्त कामिल कर दी है और कब्जा दखल व कब्जा मालकाना व वाकई अपना विक्रेता ने निम्नलिखित भूमि विक्रीत से उठाकर कब्जा दखल व कब्जा मालकाना व वाकई उस पर क्रेता उक्त का पूरी तौर पर करा दिया है और क्रेता को अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह निम्नलिखित भूमि विक्रीत पर काबिज रहकर उसमे अपनी पसंद की काशत करे उसको रहन या बैय करे या उसको जो चाहे सौ करे और कागजात सरकारी में अपना नाम बतौर मालिक के दर्ज करा ले उजर ना होगा विक्रेता का या उसके किसी वारिस व कायम मुकामान का विक्रीत भूमि में किसी प्रकार का कोई

अमन कर्मा

सिखरा

आरिंदुभा

श्री-नाम्ना

चाहे

Lakshmi

अधिकार बाकी नहीं रहा है और ना आइन्दा को होगा यदि आज से पहले की कोई सरकारी या गैर सरकारी देनदारी निम्नलिखित भूमि विक्रीत के सम्बन्ध में वाजिब हुई तो उसको विक्रेता अदा व बेबाक करने का पाबन्द व जिम्मेदार रहेंगे। अगर आइन्दा बवजह दावेदारी किसी शख्स सहीम या हकदार किफालतदार के आराजी मुबईया कब्जा दखल व कब्जा मालकाना व वाकई क्रेता जायदाद उक्त से निकल जावे या कब्जा दखल में फर्क आवे तो क्रेता जायदाद को अधिकार प्राप्त होगा की अपना कुल विक्रय धन उपरोक्त मय हरजे खर्चे के भूमि मुबईया व दीगर जायदाद माल व जात खास विक्रेता से जिस तरह से चाहे वसूल कर लेवे उजर ना होगा।

### तफसील जायदाद मुबईया

संक्रमणीय हकूक भूमिधरी भूमि रकबई 0.4380हे0 मुन्दर्जा खसरा संख्या 6 रकबई 1.372हे0 यानि विक्रेता का कुल हक व हिस्सा यानि विक्रेता का कुल सर्व भाग खाता खतौनी क्रम संख्या:- 00082 फसली वर्ष 1428-1433तक वाके ग्राम मौ.पुर बहलोलपुर परगना तहसील व जिला सहारनपुर मय जुमला हक हकूक हर किस्म मुतालिका उसके विला इसतसनाये किसी जुजव या हक के जिसका नक्शा सलग्न है जो दस्तावेजे हाजा का भाग है।

नोट:-उपरोक्त विक्रीत भूमि खसरा संख्या 6 के अंतर्गत विक्रेता का कोई अंश अथवा भाग शेष नहीं रहा है।

सीमाये खसरा संख्या 6

पूरव में :-राजबाहा खसरा संख्या 105

पश्चिम में:-खसरा संख्या 4 व 5 (क्रेता)

उत्तर में:- सीमा ग्राम सैदपुरा

दक्षिण में :- खसरा संख्या 27

अमित कुमार

पुष्प

आर्यकुमार

अमित

Lakshmi

चाहे

अमित



कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

पत्रांक २२५/सोवि०प्रा०/लेखा०/२०२५-२६

दिनांक ०५-६-२०२५

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,  
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,  
मुख्य शाखा, कोर्ट रोड,  
सहारनपुर।

कृपया संलग्न बैंक संख्या-278324, दिनांक 05.06.2025, एसबीआई-44027768433, ₹ 2,03,66,552.00 (रुपये दो करोड़ तीन लाख छियासठ हजार पाँच सौ बावन मात्र), जो आपको गूल रूप में एवं कृपकों के खाते की पासबुक की छायाप्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि निम्न तालिकाानुसार अपने स्तर से संलग्न पासबुक से सम्बन्धित कारतकार/कृषक के खाता संख्या, I.F.S.C विवरण आदि का मिलान अनिवार्य रूप से करते हुए सुसंगत खाते में ही धनराशि जमा करने का कष्ट करें :-

क्र० सं०	सम्बन्धित पक्ष का नाम	धनराशि रुपये में	खाता संख्या	बैंक का नाम	I.F.S.C Code
1	श्री जगन कुमार पुत्र श्री नन्दलाल	9,51,200.00	925010016164773 SBIN 125156825494	AXIS BANK LTD	UTIB0000420
2	श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री नन्दलाल	9,51,200.00	43968282076 JA-314496962	STATE BANK OF INDIA	SBIN0007894
3	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री नन्दलाल	9,51,200.00	1707001700092624 SBIN 125156836170	PUNJAB NATIONAL BANK	PUNB0170700
4	श्रीमती चम्पा उर्फ चोम्पा पत्नी श्री नन्दलाल	9,51,200.00	31002789105 JA-314497205	STATE BANK OF INDIA	SBIN0007894
5	श्री चौहल पुत्र श्री हरमल	1,03,44,152.00	925010016164825 SBIN 125156852743	AXIS BANK LTD	UTIB0000420
6	श्री लक्ष्मी चन्द पुत्र श्री हरमल	62,17,600.00	781418210000983 SBIN 125156847213	BANK OF INDIA	BKID0007814
	योग-	2,03,66,552.00			

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

अमित कुमार चौहल

Lakshmi



वित्त एवं लेखाधिकारी,  
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,  
सहारनपुर।

जी हल

# सम्पत्ति का फोटो




अमित कुमार पंजाब  
आनिल कुमार मि. महाराष्ट्र  
चौहान डेप्य

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India




पता:  
S/O: नन्द लाल, हाउस न, दिल्ली रोड, मोहम्मदपुर  
बहलोलपुर, मोहम्मदपुर बहलोलपुर, सहारनपुर, सहारनपुर,  
उत्तर प्रदेश - 247001



Address:  
S/O: Nand Lal, house no, delhi road,  
mouhmmadpur bahlolpur, Mohd.Pur  
Bahlolpur, PO: Saharanpur, DIST:  
Saharanpur,  
Uttar Pradesh - 247001

5448 6499 9200

VID : 9199 4256 5583 9004



1647



help@uidai.gov.in



www.aa.gov.in

CS Scanned with CamScanner



भारत सरकार  
Government of India



Aadhaar no. issued: 11/11/2014



अमन कुमार  
Aman Kumar  
जन्म तिथि/DOB: 10/03/1998  
पुरुष/ MALE



आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं।  
इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या व्हाट्सएप कोड/  
ऑफलाइन एक्सएमएल की स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए।  
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship  
or date of birth. It should be used with verification (online  
authentication, or scanning of QR code / offline XML).

5448 6499 9200

मेरा आधार, मेरी पहचान

Scanned with CamScanner



Scanned with OKEN Scanner





भारत सरकार

Unique Identification Authority of India  
Government of India

आधार क्रमांक / Aadhaar No. : 12167001203497

To  
पंकज कुमार  
Pankaj Kumar  
SO Nandlal Singh  
house no405 dehi road  
mouhammedpur baholpur  
Mghd.Pur Baholpur  
Saharanpur  
Nakur Saharanpur  
Uttar Pradesh 247001  
8879672735

15/11/2014  
14/09/2012

ML899968721FT



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

**8166 4482 0237**

आधार - आम आदमी का अधिकार



भारत सरकार  
Government of India



पंकज कुमार  
Pankaj Kumar  
जन्म तिथि / DOB : 08/07/1905  
पुरुष / Male



8166 4482 0237

आधार - आम आदमी का अधिकार

SBI  
43968282076




आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA



IOEPK2261B



PANKAJ KUMAR

General Partner & Co.  
NAVOLAL SINGH

08/07/1995

विद्युत



भारत सरकार  
Government of India

अनिल कुमार  
Anil Kumar  
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1988  
पुरुष / Male

3712 4037 8164

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय चिह्न प्रहारा प्रधिकरण  
Unique Identification Authority of India

पता:  
S/O: नन्द लाल, हाउस न-24, दिल्ली  
रोड, मोहम्मदपुर बहलोलपुर,  
मोहम्मदपुर बहलोलपुर, सहारनपुर,  
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 247001

Address:  
S/O: Nand Lal, house no-24, delhi  
road, mauhammadpur bahlolpur,  
Mohd.Pur Bahlolpur, Saharanpur,  
Saharanpur, Uttar Pradesh,  
247001


3712 4037 8164

1917  
1800 300 1917

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in


अनिल कुमार



आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA



ई-पत्राची सेवा प्राप्त कार्ड  
e - Permanent Account Number Card

PTRPK1612G



नाव / Name  
ANIL KUMAR

पिता या माता / Father's Name  
NAND LAL

जन्म दिनांक /  
Date of Birth  
01/01/1988

हस्ताक्षर / Signature

In case this card is lost / found, kindly inform / return to:  
Income Tax PAN Services Unit, UTTISI,  
Plot No. X, Sector 11, CBD Belapur,  
Navi Mumbai - 400 614.

इस कार्ड को खोने/पान पर कृपया सूचित करें/सीटारु :  
आयकर पैन सेवा यूनिट, UTTISI,  
प्लॉट नं: X, सेक्टर 11, सीडीबी बेलपुर,  
नवी मुंबई-400 614.

आनी कुमार



P.M.B

1707001700092624



भारत सरकार  
Government of India

नाम  
Champa  
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1959  
लिंग / Gender



7865 3120 6825

आधार - आम आदमी का अधिकार



आदर्श पहचान प्रणाली  
Unique Identification Authority of India

पता:  
W/O: मन्दावन, हाउस नं. दिल्ली  
रोड, मोहम्मदपुर बहालपुर,  
मोहम्मदपुर बहालपुर, सहारनपुर,  
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 247001

Address:  
W/O: Nandlal, house no, delhi  
road, mohammadpur bahalpur,  
Mohd Pur Bahalpur, Saharanpur,  
Saharanpur, Uttar Pradesh,  
247001

7865 3120 6825

1917  
1800 300 3047

help@uidai.gov.in

www  
www.uidai.gov.in

S.B.1  
3100 220 9105

मोहन



आधिकार विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड  
Permanent Account Number Card  
CYVPC9717K



नाम / Name  
CHAMPA

पिता का नाम / Father's Name  
MANGAL

जन्म तिथि / Date of Birth  
01/01/1950

हस्ताक्षर / Signature

18517

श्री चम्पा





 भारत सरकार  
 Government of India

चीन सिंह  
 Cheekul Singh  
 जन्म तिथि / DOB : 01/01/1954  
 पुरुष / Male



6655 6212 8687


आधार - आम आदमी का अधिकार



 विश्वव्यापी पहचान प्राधिकरण  
 Unique Identification Authority of India


पता:  
 S/O. हरमल, हाउस नं 35, दिल्ली  
 रोड, मुहम्मदपुर बहलोलपुर,  
 सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 247001

Address:  
 S/O. Harmal, house no 35, delhi  
 road, mouhammadpur behlolpur,  
 Saharanpur, Uttar Pradesh,  
 247001

6655 6212 8687

 1917  
 1800 300 1917

 help@uidai.gov.in

 www.uidai.gov.in

चाहे न







LAKHMI



श्री २० लक्ष्मी चंद्र



आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड  
Permanent Account Number Card

BVPPPL7837P

नाम / Name  
LAKHAMICHAND

पिता का नाम / Father's Name  
HARFUL

जन्म तिथि / Date of Birth  
01/01/1965

हस्ताक्षर / Signature

11029

LAKHAMICHAND

श्री अ. लक्ष्मी-न्ध





आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व

मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर

वाद संख्या : -1359/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : -D202509600001359

अमन कुमार पुत्र गन्ध नाल बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा :- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अमन कुमार पुत्र नन्दलाल निवासी मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर के द्वारा धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत भूमि को किसी अन्य जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति लेने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थना पत्र के अनुसार वादी अपनी भूमि 0.1395 हे० स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को मा० मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश की शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पक्ष में निर्धारित सर्किल दर अंकन 16,18,200-00 रुपये के अनुसार प्रतिफल की धनराशि अंकन 64,72,800-00 रुपये में विक्रय करना चाहता है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सहारनपुर से आख्या प्राप्त की गयी। उप जिलाधिकारी सहारनपुर की आख्या दिनांक 19.03.2025 प्राप्त हुई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध उप जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 19.03.2025 में स्पष्ट किया गया है कि वादी अपनी भूमि 0.1395 हे० को विक्रय करना चाहता है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई भूमि अवशेष नहीं बचती है। वादी उक्त विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि को मा० मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश की शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु विक्रय करना चाहता है। विक्रय किये जाने वाली भूमि भार मुक्त नहीं है, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति उक्त भूमि को क्रय करने के लिये तैयार नहीं है। विक्रय की जाने वाली भूमि पट्टे की नहीं है। प्रश्नगत भूमि धारा 77 उ०प्र० राजस्व संहिता से आच्छादित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। प्रश्नगत भूमि के विक्रय किये जाने में धारा 98(1) उ०प्र० राजस्व संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। वादी को उक्त भूमि को विक्रय किये जाने की संस्तुति उप जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा की गयी है।

अतः अमन कुमार पुत्र नन्दलाल निवासी मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को खसरा नम्बर 5 रकबा 0.4760 हे० में से 0.1190 हे०, खसरा नम्बर 6 म रकबा 1.193 हे० में से 0.0205 हे० कुल दो किता रकबा 0.1395 हे० भूमि स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98(1) के खण्ड (ग) एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 का नियम 99 के प्रतर 8(ड) के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त भूमि के अन्तरण का प्रतिकूल कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किसी धारा एवं नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है तो उक्त अनुमति रकत ही निरस्त राखी जाएगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निबन्धक को प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली अगिलेखागार में संवित की जाए।

दिनांक:- 02.04.2025

31/04/25  
145

(रजनीश कुमार मिश्र)  
अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व )  
सहारनपुर।



आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व

मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर

वाद संख्या : -1357/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : -D202509600001357

अनिल कुमार पुत्र नन्दलाल बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा : - 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अनिल कुमार पुत्र नन्दलाल निवासी मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर के द्वारा धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत भूमि को किसी अन्य जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति लेने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थना पत्र के अनुसार वादी अपनी भूमि 0.1395 हे० स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को मा० मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश की शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पक्ष में निर्धारित सर्किल दर अंकन 18,18,200-00 रुपये के अनुसार प्रतिफल की घनराशि अंकन 64,72,800-00 रुपये में विक्रय करना चाहता है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सहारनपुर से आख्या प्राप्त की गयी। उप जिलाधिकारी सहारनपुर की आख्या दिनांक 19.03.2025 प्राप्त हुई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध उप जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 19.03.2025 में स्पष्ट किया गया है कि वादी अपनी भूमि 0.1395 हे० को विक्रय करना चाहता है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई भूमि अवशेष नहीं बचती है। वादी उक्त विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि को मा० मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश की शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु विक्रय करना चाहता है। विक्रय किये जाने वाली भूमि भार मुक्त है, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति उक्त भूमि को क्रय करने के लिये तैयार नहीं है। विक्रय की जाने वाली भूमि पट्टे की नहीं है। प्रश्नगत भूमि धारा 77 उ०प्र० राजस्व संहिता से आच्छादित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद विधाराधीन नहीं है। प्रश्नगत भूमि के विक्रय किये जाने में धारा 98(1) उ०प्र० राजस्व संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। वादी को उक्त भूमि को विक्रय किये जाने की संस्तुति उप जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा की गयी है।

अतः अनिल कुमार पुत्र नन्दलाल निवासी मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को खसरा नम्बर 5 रकबा 0.4760 हे० में से 0.1190 हे०, खसरा नम्बर 8 रकबा 1.193 हे० में से 0.0205 हे० कुल दो किता रकबा 0.1395 हे० भूमि स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को भूमि स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98(1) के खण्ड (ग) एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 का नियम 99 के प्रस्तर 8(इ) के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त भूमि के अन्तरण का प्रतिफल कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किसी धारा एवं नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निबन्धक को प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाए।

दिनांक:- 02.04.2025

५

अनिल कुमार



(रजनीश कुमार मिश्र)

अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व )  
सहारनपुर।



आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व

मण्डल : सहारनपुर, जगद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर

भाद संख्या : -1358/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : -D202509600001358

चोम्पा पत्नी नन्दलाल बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा : - 98(1), अधिनियम : - उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही चोम्पा पत्नी नन्दलाल निवासी मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर के द्वारा धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत भूमि को किसी अन्य जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति लेने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थना पत्र के अनुसार बादीया अपनी भूमि 0.1395 हे० स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु, सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पक्ष में निर्धारित सर्किल दर अंकन 16,18,200-00 रुपये के अनुसार प्रतिफल की धनराशि अंकन 64,72,800-00 रुपये में विक्रय करना चाहती है। बादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सहारनपुर से आख्या प्राप्त की गयी। उप जिलाधिकारी सहारनपुर की आख्या दिनांक 19.03.2025 प्राप्त हुई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध उप जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 19.03.2025 में स्पष्ट किया गया है कि बादीया अपनी भूमि 0.1395 हे० को विक्रय करना चाहती है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई भूमि अवशेष नहीं बचती है। बादी उक्त विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि को मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु विक्रय करना चाहती है। विक्रय किये जाने वाली भूमि भार मुक्त नहीं है, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति उक्त भूमि को क्रय करने के लिये तैयार नहीं है। विक्रय की जाने वाली भूमि पट्टे की नहीं है। प्रश्नगत भूमि धारा 77 उप० राजस्व संहिता से आच्छादित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद विवादाधीन नहीं है। प्रश्नगत भूमि के विक्रय किये जाने में धारा 98(1) उप० राजस्व संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। बादीया को उक्त भूमि को विक्रय किये जाने की संस्तुति उप जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा की गयी है।

अतः चोम्पा पत्नी नन्दलाल निवासी मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को खसरा नम्बर 5 रकबा 0.4760 हे० में से 0.1190 हे०, खसरा नम्बर 6 म रकबा 1.193 हे० में से 0.0205 हे० कुल दो किता रकबा 0.1395 हे० भूमि स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को भूमि स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98(1) के खण्ड (ग) एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 का नियम 99 के प्रस्ताव 8(ड) के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त भूमि के अन्तरण का प्रतिफल कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किसी धारा एवं नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित उप निबंधक को प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली अनिलेखागार में संविता की जाए।

दिनांक:- 02.04.2025

(रजनीश कुमार मिश्र)  
अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व )  
सहारनपुर।

155



आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व

मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर

वाद संख्या : -1355/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : -D202509600001355

चौहल पुत्र हरगल बनाम सरकार

अंतर्गत धारा: - 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही चौहल पुत्र हरगल निवासी मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर के द्वारा धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत भूमि को किसी अन्य जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति लेने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थना पत्र के अनुसार वादी अपनी भूमि 0.2220 हे० स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पक्ष में निर्धारित सर्किल दर अंकन 25,75,200-00 रुपये के अनुसार प्रतिफल की धनराशि अंकन 1,03,00,800-00 रुपये में विक्रय करना चाहता है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सहारनपुर से आख्या प्राप्त की गयी। उप जिलाधिकारी सहारनपुर की आख्या दिनांक 19.03.2025 प्राप्त हुई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध उप जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 19.03.2025 में स्पष्ट किया गया है कि वादी अपनी भूमि 0.2220 हे० को विक्रय करना चाहता है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई भूमि अवशेष नहीं बचती है। वादी उक्त विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि को मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु विक्रय करना चाहता है। विक्रय किये जाने वाली भूमि भार मुक्त है, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति उक्त भूमि को क्रय करने के लिये तैयार नहीं है। विक्रय की जाने वाली भूमि घट्टे की नहीं है। प्रश्नगत भूमि धारा 77 उ०प्र० राजस्व संहिता से आच्छादित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद विद्यमान नहीं है। प्रश्नगत भूमि के विक्रय किये जाने में धारा 98(1) उ०प्र० राजस्व संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। वादी को उक्त भूमि को विक्रय किये जाने की संस्तुति उप जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा की गयी है।

अतः चौहल पुत्र हरगल निवासी मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को खसरा नम्बर 6म रकबा 1.193 हे० में से 0.2220 हे० भूमि स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को मा० सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98(1) के खण्ड (ग) एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2018 का नियम 99 के प्रस्तर 8(स) के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त भूमि के अन्तरण का प्रतिफल कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किसी धारा एवं नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निबन्धक को प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली अगिलेखानार में संचित की जाए।

दिनांक:- 02.04.2025

चौहल

(रजनीवास कुमार मिश्र)  
अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व )  
सहारनपुर।



आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व

मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर

वाद संख्या : -1351/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : -D202509600001351

सखमी चन्द पुत्र हरफूल बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा : - 98(1), अधिनियम : - उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही लखमीचन्द पुत्र हरफूल निवासी मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर के द्वारा धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत भूमि को किसी अन्य जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति लेने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थना पत्र के अनुसार वादी अपनी भूमि 0.1340 हे० स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पक्ष में निर्धारित सर्किल दर अंकन 15,54,400-00 रुपये के अनुसार प्रतिफल की धनराशि अंकन 62,17,600-00 रुपये में विक्रय करना चाहता है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सहारनपुर से आख्या प्राप्त की गयी। उप जिलाधिकारी सहारनपुर की आख्या दिनांक 19.03.2025 प्राप्त हुई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध उप जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 19.03.2025 में स्पष्ट किया गया है कि वादी अपनी भूमि 0.1340 हे० को विक्रय करना चाहता है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई भूमि अवशेष नहीं बचती है। वादी उक्त विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि को मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु विक्रय करना चाहता है। विक्रय किये जाने वाली भूमि नार मुक्त है, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति उक्त भूमि को क्रय करने के लिये तैयार नहीं है। विक्रय की जाने वाली भूमि पट्टे की नहीं है। प्रश्नगत भूमि धारा 77 उ०प्र० राजस्व संहिता से आच्छादित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। प्रश्नगत भूमि के विक्रय किये जाने में धारा 98(1) उ०प्र० राजस्व संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। वादी को उक्त भूमि को विक्रय किये जाने की संस्तुति उप जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा की गयी है।

अतः लखमीचन्द पुत्र हरफूल निवासी मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को खसरा नम्बर 6 म रकबा 1.193 हे० में से 0.1340 हे० भूमि स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को भूमि स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98(1) के खण्ड (ग) एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 का नियम 99 के प्रस्तर 8(ड) के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त भूमि के अन्तरण का प्रतिफल कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किसी धारा एवं नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निबन्धक को प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाए।

दिनांक:- 02.04.2025

Lakshmi



(रजनीश कुमार मिश्र)  
अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व )  
सहारनपुर।

11/11/2025 11:11:11

आदेश पत्र

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व

महानगर : सहासनपुर, जलानगर : सहासनपुर, तहसील : सहासनपुर

माह संख्या : - 1356/2025

पंजीकृत माह संख्या : - D202509600001356

शंकर कुमार पुत्र मंगलचंद पन्नाम सरस्वर

अन्तर्गत धारा : - 98(1), अधिनियम : - उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

प्रस्तुत माह की कार्यवाही शंकर कुमार पुत्र मंगलचंद निवासी मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहासनपुर के द्वारा धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत भूमि को किसी अन्य जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति लेने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थना पत्र के अनुसार चादी अपनी भूमि 0.1395 हे० स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहासनपुर को मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु सहासनपुर विकास प्राधिकरण सहासनपुर के पक्ष में निर्धारित सर्किल दर अंकन 16,18,200-00 रुपये के अनुसार प्रतिफल की धनराशि अंकन 64,72,000-00 रुपये में विक्रय करना चाहता है। चादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सहासनपुर से आख्या प्राप्त की गयी। उप जिलाधिकारी सहासनपुर की आख्या दिनांक 19.03.2025 प्राप्त हुई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध उप जिलाधिकारी सहासनपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 19.03.2025 में स्पष्ट किया गया है कि चादी अपनी भूमि 0.1395 हे० को विक्रय करना चाहता है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई भूमि अवशेष नहीं बचती है। चादी उक्त विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि को मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु विक्रय करना चाहता है। विक्रय किये जाने वाली भूमि भार मुक्त नहीं है, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति उक्त भूमि को क्रय करने के लिये तैयार नहीं है। विक्रय की जाने वाली भूमि पट्टे की नहीं है। प्रस्तावित भूमि धारा 77 उ०प्र० राजस्व संहिता से आच्छादित नहीं है। प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद विद्यमान नहीं है। प्रस्तावित भूमि के विक्रय किये जाने में धारा 98(1) उ०प्र० राजस्व संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। चादी को उक्त भूमि को विक्रय किये जाने की संतुष्टि उप जिलाधिकारी सहासनपुर द्वारा की गयी है।

अतः शंकर कुमार पुत्र मंगलचंद निवासी मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहासनपुर को खसरा नम्बर 5 रकबा 0.4760 हे० में से 0.1190 हे०, खसरा नम्बर 8 म रकबा 1.193 हे० में से 0.0205 हे० कुल दो किता रकबा 0.1395 हे० भूमि स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहासनपुर को सहासनपुर विकास प्राधिकरण सहासनपुर के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98(1) के खण्ड (ग) एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 का नियम 99 के प्रस्ताव 8(ड) के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त भूमि के अन्तरण का प्रतिफल कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किसी धारा एवं नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। प्रस्तावित भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निबन्धक को प्रेषित की जाकर माह पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाए।

दिनांक:- 02.04.2025

(रजनीश कुमार मिश्र)  
अपर कलेक्टर ( वित्त एवं राजस्व )  
सहासनपुर।

# कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

## कार्यालय आदेश

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास किये जाने हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर द्वारा ग्राम चुनहेटी, गाडा, सौदपुरा एवं गौहम्मदपुर बहलोलपुर में सहमति के आधार पर खातोदारों से प्राधिकरण के लिए किये जाने वाले बैनामों हेतु निम्न अधिकारियों व कर्मचारियों को नामित किया जाता है :-

- 1- श्री सुधीर गुप्ता, अवर, अभियन्ता / श्री आशीष सक्सेना, अवर अभियन्ता
- 2- राजस्व लेखपाल (उप-जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा नामित)
- 3- श्री श्रीपाल, प्रधान लिपिक, स०वि०प्रा०

उक्त समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सहारनपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत होने वाले समस्त बैनामों की कार्यवाही नियमानुसार अपनी देख-रेख में प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

(संतोष कुमार राय)

उपाध्यक्ष

पत्रांक : २५२९ /अर्जन/स०वि०प्रा०/2024-25

दिनांक ११ फरवरी, 2025

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- जिलाधिकारी, सहारनपुर।
- 2- अवर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), सहारनपुर।
- 3- उपमहानिरीक्षक, निवन्धन, सहारनपुर।
- 4- सद-रजिस्ट्रार (द्वितीय), सहारनपुर।
- 5- सचिव, स०वि०प्रा०।
- 6- विशेष कार्याधिकारी, स०वि०प्रा०।
- 7- वित्त एवं लेखाधिकारी, स०वि०प्रा०।
- 8- अधिशासी अभियन्ता, स०वि०प्रा०।
- 9- सहायक अभियन्ता व समस्त अवर अभियन्ता, स०वि०प्रा०।
- 10- उपरोक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को अनुपालनार्थ, स०वि०प्रा०।
- 11- गार्ड फत्रावली।

(संतोष कुमार राय)

उपाध्यक्ष

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड  
Permanent Account Number Card

AAALS0359L



नाम/Name  
SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

07092022

निगम/संस्था की तारीख  
Date of Incorporation/Formation

02/05/1995

*[Handwritten Signature]*




 भारत सरकार  
 Government of India



भारतीय सलोक  
 Ashish Saxena  
 जन्म तिथि/DOB: 28/03/1973  
 लिंग/ GENDER: MALE

Issue Date: 17/01/2012



8663 8179 5328  
 VID : 9138 0107 9291 8144  
 मेरा आधार, मेरी पहचान


 भारतीय सलोक  
 Ministry of India



पता:  
 S/O कृष्ण चंद सलोक, 311/308 ए, मेरपुर, बी ए सी  
 कॉलेज, मेरपुर, अलाहाबाद, उत्तर प्रदेश,  
 पिन कोड - 211003

Address:  
 S/O Krishna Chand Saxena, 311/308 A,  
 MEERAPUR, D A V COLLEGE, MEERAPUR,  
 Allahabad, Allahabad,  
 Uttar Pradesh - 211003





8663 8179 5328  
 VID : 9138 0107 9291 8144

1847 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

*Saxena*





श्री पाल  
 Shree Pal  
 जन्म तिथि/DOB: 02/07/1966  
 पुरुष/ MALE

3979 2899 8715  
 VID : 9101 9908 0236 2446  
 मेरा आधार, मेरी पहचान




भारत का डिजिटल पहचान प्रमाणिका  
 Government Digital Identity Authority of India

नाम:  
 C/O चमन सिंह, 307, विसय कॉलोनी, साहेरानपुर,  
 उत्तर प्रदेश - 247001  
 Address:  
 C/O Chaman Singh, 307, Vitsay Colony,  
 Saheranpur, Saheranpur,  
 Uttar Pradesh - 247001

3979 2899 8715  
 VID : 9101 9908 0236 2446

1841 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

CF

SITE PLAN OF AGRILAND KI. NO-6

SITUATED AT GRAM MOHD. PUR BAHLOLPUR


PARA 5 NA TEHSIL & DIST. SAHARANPUR

OWNERED AMAN KUMAR & OTHER'S

S/ NAND LAL

PURCHASER BY S.D.A. SAHARANPUR

AREA  $\Rightarrow$  SOLD AREA = 0.4380 HECT.



अमन कुमार  
पंकज अजील कुमार  
नि. अमन  
D. S. S. S.  
लक्ष्मी  
Lakshmi





आवेदन सं०: 202500702031644

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10799 के पृष्ठ 23 से 60 तक क्रमांक 6739 पर  
दिनांक 05/06/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सचिन कुमार (प्रभारी)

उप निबंधक : सदर द्वितीय

सहारनपुर

05/06/2025

